टी बोर्ड भारत Tea Board India
14, बी.टी.एम सरणी (ब्रेबोर्न रोड) कोलकाता 700 001
14, B.T.M Sarani (Brabourne Road) Kolkata 700 001
www.teaboard.gov.in

संदर्भ सं.12(17)/एलसी/2008/पी-III/ 768 दिनांक 29/01/2025

आदेश

1. जबकि चाय (विपणन) नियंत्रण आदेश, 2003 के खंड 13(3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, टी बोर्ड के अनुज्ञापन एवं पंजीकरण प्राधिकरण द्वारा आदेश संदर्भ सं. 12(17)/एलसी/2008/भाग- III/502 दिनांक 15 जुलाई, 2024 को जारी किया गया था, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, नवंबर, 2024 को समाप्त होने वाले सीजन के लिए सिक्किम और दार्जिलिंग हिल्स सहित उत्तर बंगाल के क्षेत्र में चाय निर्माण इकाइयों द्वारा हरी चाय की पत्तियों को तोड़ने/प्राप्त करने की अंतिम तिथि और इसके प्रसंस्करण की अंतिम तिथि के संबंध में सभी चाय निर्माण इकाई द्वारा अनिवार्य अनुपालन के लिए कहा गया था।

2. जबकि, चाय की पत्तियों को तोड़ना और चाय का उत्पादन अगले फसल मौसम, वर्ष 2025 से शुरू करना होगा, जब चाय की झाड़ियों की शीतकालीन निष्क्रियता समाप्त हो जाएगी और चाय की झाड़ियाँ नए सिरे से चाय की पती/अंकुरित कलियाँ उत्पन्न करना शुरू कर देंगी।

3. चूंकि, चाय की झाड़ियों के प्राकृतिक फसल पैटर्न के अनुसार वर्तमान फसल मौसम के चाय विनिर्माण को शुरू करने की उपयुक्त समयसीमा निर्धारित करने के लिए उद्योग हितधारक, वैज्ञानिक संस्थान से सुझाव/प्रतिक्रियाएं सुनी/प्राप्त की गई हैं।

4. अतः क्रम सं. 1 में उल्लिखित आदेश के अनुक्रम में, डुआर्स, तराई, बिहार, सिक्किम और दार्जिलिंग हिल्स, हिमाचल प्रदेश एवं उत्तराखंड क्षेत्रों के सभी चाय निर्माताओं एवं उत्पादकों द्वारा अनिवार्य अनुपालन के लिए निम्नलिखित निदेश जारी किए जाते हैं:

क्र. सं.	विवरण	रोपण क्षेत्र	कार्यान्वयन की तिथि
1	वर्ष 2025 के लिए चाय निर्माण शुरू करने के लिए सभी चाय फैक्ट्रियों हेतु हरी पत्तियों को तोड़ने/प्राप्त करने की प्रारंभ तिथि	डुआर्स, तराई, बिहार	17 फरवरी 2025
2		दार्जिलिंग हिल्स एवं सिक्किम	27 फरवरी 2025
3		हिमाचल प्रदेश	7 मार्च 2025
4		उत्तराखंड	7 मार्च 2025

5. जिन बागानों ने परंपरागत पद्धति के अलावा अन्य छंटाई/अन्य खेती पद्धतियों को अपनाया है और प्रारंभिक फसल को छोड़ दिया है/ साथ ही अर्थोडॉक्स, हरी और विशेष चाय के उत्पादक, बोर्ड के संबंधित कार्यालय से छूट मांग सकते हैं।

6. सहायक निदेशक चाय विकास के पद से नीचे के अधिकारी अपने आंचलिक/क्षेत्रीय कार्यालयों (सिलीगुड़ी एवं पालमपुर) को उचित क्षेत्र सत्यापन के बाद जारी करने के लिए, यदि कोई हो, ऐसी छूट की सिफारिश करने के लिए अधिकृत हैं। दी गई छूट (यदि कोई हो) की सूचना बोर्ड के मुख्य कार्यालय को दी जानी चाहिए। ऐसी छूट जारी करते समय, अधिकारी छंटाई की प्रथाओं, सिंचाई सुविधाओं, जल्दी बारिश जो जल्दी फ्लशिंग और फ्लशिंग पैटर्न को ध्यान में रखेंगे।

Sd/-
उपाध्यक्ष, टी बोर्ड एवं
अनुज्ञापन प्राधिकारी

वितरण :

1.	संबंधित क्षेत्र के सभी चाय उत्पादक संघ	सख्त अनुपालन हेतु सदस्यों के बीच सूचना एवं प्रसार हेतु
2.	संबंधित क्षेत्र के सभी पत्ती चाय क्रेता उत्पादक संघ	
3.	संबंधित क्षेत्र के सभी लघु चाय उत्पादक संघ	
4.	टी बोर्ड के सभी क्षेत्रीय/उप-क्षेत्रीय कार्यालय सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी एवं पालमपुर	सभी हितधारकों को परिचालन एवं आदेश के अनुपालन हेतु अनुवर्ती कार्रवाई के लिए
5.	निदेशक चाय विकास, टी बोर्ड	सूचनार्थ
6.	सिस्टम एनालिस्ट, टी बोर्ड	बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु